

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा

28/2020

किस्म मुकदमा

धारा 91 एल.आर.एक्ट

एज्यु दिनांक

03.06.2020

निर्णय दिनांक

01.07.2020

उनवान सरकार बनाम मदन पुत्र कान्ता प्रसाद जाति खाती निवासी ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

:- निर्णय :-

पन्नावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पन्नावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का झांझा ने सम्वत् 2077 में द्वारा आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि चाके गाम ढाकामाण्डी की राजकीय भूमि ख0न0 175 कुल रकबा 4.17 है0 किस्म गै0गु0 जोहड़ में से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी मदन पुत्र कान्ता प्रसाद जाति खाती निवासी ढाकामाण्डी ने अवैध रूप से छड़ी व रुड़ी डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया, जो शामिल गिराल किया गया।

पन्नावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का महनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में छड़ी व रुड़ी डालकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहरा रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से छड़ी व रुड़ी डालकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.78/- का अतिक्रमण शुदा लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50.00/- बतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वसते जमा कायमी/बेदखली/चसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से चारतविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पन्नावली बाद तकमील तामील दाखिल दपत्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौराला हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ. सं. 71  
पर 50/ की मांग स्थायम की गई।

(मांगेराम पूनिया)  
तहसीलदार बुहाना

तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील बुहाना